न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **52/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री एस0एस0राणावत नि0 एफ 159 हनुमान कॉलोनी, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 24/07/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर(प्रशासन)भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 31.05..2017 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 35 एफ 763079 दिनांक 17.04. 2017 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17/04/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 09/06/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक /सूचना प्रकोष्ठ/2017 दिनांक 20.06.2017 से वांछित सूचना सम्बन्धित अपीलान्ट को उपलब्ध कराई गई उन पत्रों की प्रतियां संलग्न कर प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा के द्वारा वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई । सूचना अपीलान्ट को अलग–अलग

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

तिथियों में जिला कलक्टर कार्यालय के विभिन्न अनुभाग स्तर पर उपलब्ध कराई गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर अपीलान्ट के आवेदन पत्र दिनांक 17.04.2017 पर मय विवरण के साथ अंकित है। आवेदन के बिन्दु संख्या 1 से 4 के सम्बन्ध में सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर है परन्तु नोट अंकित है कि जो सूचना उपलब्ध कराई है वह मांग अनुसार नहीं है। बिन्दु संख्या 5 व 6 के सम्बन्ध में सामान्य अनुभाग द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग भीलवाड़ा को सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन स्थानान्तरित किया गया । बिन्दु संख्या 7 से 10 की सूचना सम्बन्धित अनुभागों एवं विभागों से उपलब्ध करा दी गई है। सूचनाएं प्रेषित करने सम्बन्धी पत्रों की प्रतियां प्रत्यर्थी के जवाब के साथ प्राप्त हुई है। सूचना समय पर उपलब्ध कराई गई है। अपीलान्ट के द्वारा सूचना मांग अनुसार नहीं होने के सम्बन्ध में न्यायालय में उपस्थित होकर कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उन्हें कौनसी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। अनुभाग स्तर पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार सूचना उपलब्ध करादी जाने से अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में अपील में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 24/07/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा